संख्या-7/2015/164/अड़तीस-5-15-27 बजट/2013 (ए)

पे्रषक,

पी0एन0 त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 18 मार्च, 2015

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में पेयजल के विभिन्न कार्यक्रम हेतु प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि को अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक-163/डब्लू-409/2015, दिनांक 02.03.2015 एवं तद्संलग्न पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृत आदेश संख्या-डब्लू-11020/26/2014/एन0आर0डी0डब्लू0पी0/वाटर/436, दिनांक 18.02.2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से एन0आर0डी0डब्लू0पी0 के अन्तर्गत इन्सेन्टिव फण्ड के रूप में (कवरेज, वाटर क्वालिटी, सस्टेनविलिटी एवं संचालन एवं अनुरक्षण) हेतु वर्ष 2014-15 में रू0 9849.32 लाख (रूपये अट्ठानब्बे करोड़ उन्नचास लाख बत्तीस हजार मात्र) केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार भारत सरकार से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-2015 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त केन्द्रांश रू0 9849.32 लाख (रूपये अट्ठानब्बे करोड़ उन्नचास लाख बत्तीस हजार मात्र) एवं मैचिंग राज्यांश के रूप में रू0 7515.19 लाख (रूपये पचहत्तर करोड़ पन्द्रह लाख उन्नीस हजार मात्र) कुल धनराशि रू0 17364.51 लाख (रूपये एक अरब तिरहत्तर करोड़ चैसठ लाख इक्यावन हजार मात्र) की धनराशि को श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(I) धनराशि का व्यय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के उपरोक्त स्वीकृत आदेशों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) एन0आर0डी0डब्लू0पी0 के अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश /राज्यांश की धनराशि के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-667/अड़तीस-5-14-27बजट/13 (ए), दिनांक 03 जून, 2014 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(III) उक्त स्वीकृत धनराशि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कोषागार से आहरित कर भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रोगाम एकाउन्ट में जमा की जायेगी एवं निर्धारित अवधि में सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

3- शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक/ वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उपर्युक्तानुसार प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि रू0 17364.51 लाख (रूपये एक अरब तिरहत्तर करोड़ चैसठ लाख इक्यावन हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक "अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक -4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत-01-जलपूर्ति- 102-ग्रामीण जलपूर्ति- 02- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम- 01-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्लू.पी.) (के.50/रा.50 -के0+रा0) -24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्याः 164 (1)/अड़तीस-5-15, तददिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक (जल), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, 9वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0।
3. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. समस्त जिलाधिकारी /मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा ।
11. महाप्रबन्धक, झांसी डिवीजन जल संस्थान झांसी।
12. नियोजन अनुभाग-4 / ग्राम्य विकास अनुभाग-3 ।
13. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।
14. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in